

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(3)(1)/पंचा/रानिआ/2024/786

दिनांक: 20-1-2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।

विषय:-पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में।

संदर्भ:-आयोग का पत्रांक 5221 दिनांक 31.12.2025 तथा 482 दिनांक 15.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव, 2026 के लिए मतदान केन्द्र स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

उक्त पत्रों के द्वारा आपको यह निर्देश दिये गये थे कि मतदान बूथ बनाते समय न्यूनतम लगभग 900 एवं अधिकतम लगभग 1200 मतदाताओं की संख्या पर ही बूथ का गठन किया जाये किन्तु ई-सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि उक्त आदेश की पालना नहीं की जा रही है।

अतः संदर्भित पत्र द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) से कराने का श्रम करे।

भवदीय,

20.1.26

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक: 20-1-26

क्रमांक: एफ. 7(3)(1)/पंचा/रानिआ/2024/787-792

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. कम्प्यूटर शाखा को, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने तथा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. लेखा/स्टोर/सांख्यिकी शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव